न्यायालयः– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, किशनगंज।
उपस्थितः– सुरेश कुमार सिंह – II
निर्णय की तिथिः– 23.05.2026
सत्र वाद संख्या– 13/2016
C.I.S No.- 11/2016
प्रथम ईतला रिर्पोट संख्या– 64/2014 थाना– किशनगंज, जिला– किशनगंज।
सूचक – जहूर आलम, पिता– स्व0 मो0 युनुस, साकिन– पश्चिम पाली चौक, थाना व जिला– किशनगंज। ....अभियोजन। द्वारा प्रस्तुति– श्री सोरेन प्रसाद साह (विद्वान अपर लोक अभियोजक)

अभियुक्तः–	1. जलील, खलील उर्फ घोघा, फरमान, शमीम उर्फ सलीम, सहाबुल, अलाउद्दीन, सब्बीर उर्फ सब्बीर, अकबर, सलाउद्दीन, मनसूर आलम, अनवर, सहिरूद्दीन, सद्दाम, बाबर उर्फ अकबर उद्दीन एवं बजलूर रहमान।
द्वारा प्रस्तुति–	विद्वान अधिवक्ताः– श्री दीपक कुमार सहनी।

अपराध की तारीखः–	02.02.2014
प्रथम ईतला रिर्पोट की तिथिः–	02.02.2014
आरोप पत्र समर्पित की तिथिः–	30.11.2014
आरोप गठन की तिथिः–	14.03.2016
धारा–313 द0प्र0स0 बयान की तिथिः–	13.05.2026
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथिः–	20.05.2026
निर्णय की तिथिः–	23.05.2026
दण्डादेश की तिथिः–	

Accused Details:-

Rank of the Accused	
अभियुक्त का नाम एवं पताः–	1. जलील, पिता– स्व0 सोबरातु, 2. खलील उर्फ घोघा, पिता– स्व0 सोबरातु, 3. फरमान, पिता– रईसोद्दीन, 4. शमीम उर्फ सलीम, पिता– समीर उद्दीन, 5. सहाबुल, पिता– समीरूद्दीन, 6. अलाउद्दीन, पिता– खलील, 7. सब्बीर उर्फ सब्बीर, पिता– खलील, 8. अकबर, पिता– खलील, 9. सलाउद्दीन, पिता– समीरूद्दीन, 10. मनसूर आलम, पिता– मजहरूल, 11. अनवर, पिता– मजहरूल, 12. सहिरउद्दीन, पिता– बजलूर रहमान, 13. सद्दाम, पिता– जलील, 14. बाबर उर्फ अकबरूद्दीन, पिता– खलील एवं 15. बजलूर रहमान उर्फ मिरसद अली, सभी साकिन– लहरा फुलवाडी, थाना व जिला– किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः–	06.02.2014, 07.02.2024

जमानत पर मुक्त करने की तिथिः–	06.02.2014, 07.02.2014
चार्जः–	U/S- 307/149 of IPC.
दोषमुक्त या दोषसिद्धः–	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः–	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C विचारण के दौरान की अवधि	

APPENDIX OF EVIDENCE INDEX. (साक्ष्य का अनुलग्नक)

अभियोजन साक्षी/प्रतिरक्षा साक्षी/न्यायालय साक्षी की सूचीः–

(क) अभियोजन साक्षीः–

Rank	**Name**	**साक्ष्य की प्रकृतिः–** **चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
P.W- 1	मो0 मुस्लिम	अन्य साक्षी
P.W- 2	मो0 सरबर आलम	अन्य साक्षी
P.W- 3	मो0 फारूक	अन्य साक्षी
P.W- 4	मो0 जहूर आलम	सूचक साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई होः–

Rank	**Name**	**साक्ष्य की प्रकृतिः–** **चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
N.A	N.A	N.A

(ग) न्यायालय साक्षी यदि कोई होः–

Rank	**Name**	**साक्ष्य की प्रकृतिः–** **चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
N.A	N.A	N.A

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूचीः–

(क) अभियोजन प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	**प्रदर्श संख्याः**	**विवरण**
01	प्रदर्श– 01	फर्द बयान पर साक्षी का हस्ताक्षर।

(ख) प्रतिरक्षा प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

(ग) न्यायालय प्रदर्श की सूचीः—

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

(घ) वस्तु प्रदर्श की सूचीः—

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

निर्णय

1. उपरोक्त अभियुक्तगण जलील, खलील उर्फ घोघा, फरमान, शमीम उर्फ सलीम, सहाबुल, अलाउद्दीन, सब्बीर उर्फ सब्बीर, अकबर, सलाउद्दीन, मनसूर आलम, अनवर, सहिरूद्दीन, सद्दाम, बाबर उर्फ अकबर उद्दीन एवं बजलूर रहमान के विरूद्ध धारा 307/149 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु आरोप गठित किया गया है जिसे अभियुक्तगण ने इन्कार किये तथा विचारण की मांग किए।

2. सूचक जहूर आलम द्वारा दिये गये फर्द बयान के अनुसार अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि दिनांक 02.02.2014 को समय 11.00 बजे अपने घर पश्चिम पाली चौक से ट्रैक्टर बी0आर0 33—7333 जिसका चालक मो0 मुस्लिम है के द्वारा सामान लोड कर लहरा फुलवाडी लेकर आया। वहां पर सूचक मोटरसाईकिल से पहुंचा तथा अपने जमीन पर काम कराने के लिए सामान गिरा रहा था तो उपरोक्त अभियुक्तगण अपने—अपने हाथ मे लाठी, भाला तथा गड़ासा से लैश होकर आये तथा इनके जमीन पर काम कर रहे मजदूर को काम करने मना किया तथा इनक उपर वार करना शुरू कर दिया। उसक बाद सूचक को अभियुक्त खलील ने अपने हाथ मे लिए लोहे के रड़ से इनके माथा पर जान मारने के नियत से बार किया जिससे इनके सर से खून गिरने लगा तथा सूचक चिल्लाये तब स्थानीय लोग इन्हें सदर अस्पताल, किशनगंज लेकर ईलाज कराने गये। उसके पश्चात् सूचक जहूर आलम द्वारा दिये गये फर्द बयान के आधार पर किशनगंज थाना कांड संख्या— 64/2014 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 307, 504, 506 भा0द0वि0 में दर्ज हुआ।

3. अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोंपरात प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 341, 323, 307, 504, 506 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या 393/2014 दिनांक 30.11.2014 को विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, किशनगंज के न्यायालय में समर्पित किया गया। समर्पित आरोप पत्र के आधार पर विद्वान न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध संज्ञान लिया गया।

4. दौरा सुपुर्दगी पश्चात् सत्र न्यायालय में सत्र वाद दर्ज हुआ तथा वाद को विचारण हेतु इस न्यायालय मे स्थानान्तरीत किया गया। दिनांक 14.03.2016 को इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण जलील, खलील उर्फ घोघा, फरमान, शमीम उर्फ सलीम, सहाबुल, अलाउद्दीन, सब्बीर उर्फ सब्बीर, अकबर, सलाउद्दीन, मनसूर आलम, अनवर, सहिरूद्दीन, सद्दाम, बाबर उर्फ अकबर उद्दीन एवं बजलूर रहमान के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 341, 323, 307, 504, 506 भा0द0वि0 में आरोप का गठन कर गठित आरोप को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसे वह इंकार किये एवं विचारण की मांग किये।

5. अभियोजन ने अपने केस के समर्थन में 04 साक्षियों को प्रस्तुत किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 01 मो0 मुस्लिम, अभियोजन साक्षी संख्या 02 मो0 सरबर आलम, अभियोजन साक्षी संख्या 03 मो0 फारूक एवं अभियोजन साक्षी संख्या 04 मो0 जहूर आलम (सूचक) हैं।

6. अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों में फर्द बयान पर साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्श–01 अंकित किया गया है।

7. अभियोजन साक्ष्य बंद कर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2026 को अभियुक्तगण का बयान द0प्र0स0 की धारा–313 के अन्तर्गत दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध लगाए गए अभियोगों से इन्कार किये तथा अपने को निर्दोष बताये।

8. बचाव पक्ष के तरफ से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. अब विचारण न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित आरोप को युक्तियुक्त संदेह की छाया से परे साबित करने में सफल रहे हैं ?

मन्तव्य

10. इस मामले में अभियोजन ने कुल 04 साक्षियों का साक्ष्य कराया है। सर्वप्रथम मामले की सूचक के साक्ष्य का विवेचना करना उचित प्रतीत होता है। अभियोजन साक्षी संख्या 04 मो0 जहूर आलम (सूचक) है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि घटना दिनांक 02.02.2014 के समय 11.00 बजे दिन की है। घटना के सम्बन्ध मे पुलिस को बयान अस्पताल मे घटना के दुसरे दिन दिये थे। जमीन का झगड़ा था। इन्होंने ट्रैक्टर से बांस झाड़ धेरने के लिए लेकर जा रहे थे वह जमीन इन्हें खरीदगी से हासिल है। सूचक काम पर जा रहे थे तो विपक्षीगण खलीलुर रहमान, मो0 जलील, शमीम, सलाउद्दीन, बाबर वगैरह 15–20 आदमी इनके साथ धक्का–मुक्की किये जिससे इनके सर मे चोट आई। फर्द बयान पर साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्श– 01 अंकित किया गया। प्रतिपरीक्षण के कम मे इन्होंने कहा है कि इस मे में सूचक ने अभियुक्तगण से सुलह कर लिया है। सुलहनामा दाखिल है। सुलहनामा एवं अनुमति आवेदन पर साक्षी का हस्ताक्षर है तथा इनका फोटो लगा हुआ है। जमीनी विवाद के लिए यह केस किया गया था। उक्त जमीन अब इनहें मिल गया है। सूचक फिसल कर गिर गया था उसी मे इनको चोट लग गया था। इन्हें विपक्षीगण नहीं मारा था। इन्हें सिर्फ शमीम से विवाद हुआ था बाकी लोग दुर–दुर थे। किसी अभियुक्तगण के हाथ मे हाथियार नहीं था। किन्हीं से इनको कोई शिकायत नहीं है। इस साक्षी के साक्ष्य मे काफी विरोधाभाष है जो अभियोजन केस का समर्थन नहीं करता है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 03 मो0 फारूक है इन्होने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि इनको घटना के बारे मे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था। इस साक्षी ने साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस बजह से अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

12. अभियोजन साक्षी संख्या 02 मो0 सब्बीर आलम है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि घटना 02.02.2014 के समय 10.00 बजे सुवह की है। उस समय ये सुभाषपल्ली घर जा रहे थे। मारवाडी कॉलेज से थोड़ा पश्चिम हल्ला हुआ तो वहाॅ पहुंचे तो देखे कि जहूर आलम, खलील एवं अन्य के बीच मे झगड़ा झंझट हो रहा था। प्रतिपरीक्षण मे इन्होंने कहा है कि घटना स्थल पर घटना आरम्भ होने के 5–7 मिनट बाद पहुंचे थे। दोनो पक्षो के बीच जमीनी विवाद है यह बात इन्होंने बाद मे सुना था। इन्हें जानकारी नहीं है कि यह केस जमीनी विवाद मे किया गया है। इस साक्षी के साक्ष्य के विरोधाभाष है जो अभियोजन केस का समर्थन नहीं करता है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

13. अभियोजन साक्षी संख्या 01 मो0 मुस्लिम है इन्होने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि घ टना 02.02.2014 की है। उस समय ये चाय के दुकान पर चाय पी रहे थे। जहूर आलम और खलील, जलील, फरमान वगैरह के साथ मारपीट हो रहा था। जलील, जहूर को लोहे के रड़ से मारा तथा अन्य अभियुक्तगण लात–हाथ से मारा। जहूर को सिर पर चोट लगा गया जिससे उसका सर फट गया था। प्रतिपरीक्षण मे इन्होंने कहा है कि सुवह आठ बजे काम पर मजदुरी करने जाते है तथा संध्या पॉच बजे के करीब घर लौटते है तथा 02 बजे के करीब दिन का खाना खाते है। दिनांक 01.02.2014 सुवह आठ बजे घ र से मजदुरी करने निकले थे तथा शाम पॉच बजे के करीब घर वापस लौटे थे। इस साक्षी ने भले ही घ

ाटना का समर्थन किया है लेकिन अभियोजन साक्षी संख्या 04 जहूर आलम जो इस वाद के सूचक है उन्होंने अपने साक्ष्य के दौरान कहा है कि दोनो पक्षो के बीच समझौता हो गया है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

14. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में दोनो पक्षो के बीच समझौता हो गया है। अभियुक्तगण निर्दोष है उन्हें दोषमुक्त किया जाए।

15. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोजन साक्षी संख्या 03 मो0 फारूक है, उन्होने साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस बजह से अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 04 मो0 जहूर आलम (सूचक) है इन्होंने साक्ष्य के दौरान कहा है कि दोनो पक्षो के बीच सुलह हो गया है। आगे इन्होने कहा है कि फिसल कर गिरने से इन्हें चोट लगा था। अब इन्हें अभियुक्तगण से कोई शिकायत नहीं है। अभियोजन साक्षी संख्या 02 मो0 सरबर आलम है इन्होंने साक्ष्य के दौरान कहा है कि घटना स्थल पर घटना घटित होने के 5–7 मिनट बाद गये थे। कौन किसको गाली दे रहा था नहीं बता सकते है। इन्होंने बाद मे सुना था कि दोनो पक्षो के बीच जमीन का विवाद था। अभियोजन साक्षी संख्या 01 मो0 मुस्लिम है इन्होंने साक्ष्य के दौरान भले ही घटना समर्थन किया है लेकिन अभियोजन साक्षी संख्या 04 सूचक है इन्होंने अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है तथा विपक्षीगण से समझौता कर लिया है। जिस मामले मे सूचक ने अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है तब इस केस मे अन्य साक्ष्य का महत्व नहीं रह जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को पर्याप्त साक्ष्य द्वारा साबित नहीं कर सका है।

16. उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अभियुक्तगण जलील, खलील उर्फ घोघा, फरमान, शमीम उर्फ सलीम, सहाबुल, अलाउद्दीन, सब्बीर उर्फ सब्बीर, अकबर, सलाउद्दीन, मनसूर आलम, अनवर, सहिरूद्दीन, सद्दाम, बाबर उर्फ अकबर उद्दीन एवं बजलूर रहमान के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 307, 504, 506 भा0द0वि0 को युक्ति युक्त संदेह की छाया से परे साबित करने मे असफल रहा है। अतः

आदेश

अभियुक्तगण जलील, खलील उर्फ घोघा, फरमान, शमीम उर्फ सलीम, सहाबुल, अलाउद्दीन, सब्बीर उर्फ सब्बीर, अकबर, सलाउद्दीन, मनसूर आलम, अनवर, सहिरूद्दीन, सद्दाम, बाबर उर्फ अकबर उद्दीन एवं बजलूर रहमान के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 307, 504, 506 भा0द0वि0 से साक्ष्य के अभाव मे दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण तथा उनके प्रतिभूओं को उनके बन्ध पत्र के दायित्वों से उन्नमोचित किया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

ह0/–
(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवंअपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह– विशेष न्यायाधीश, किशनगंज
दिनांकः– 23.05.2026

ह0/–
(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
–सह– विशेष न्यायाधीश, किशनगंज
दिनांकः– 23.05.2026

Date of Judgment/Order	23-05-2026
Date of reserving judgment/order	20-05-2026
Uploading Date	25-05-2026
Uploaded by	Deposition Writer